संख्याः 304/XI/14/56(25)2013

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
समेकित आजीविका सुधार परियोजना,
216–पंडितवाड़ी, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग। देहरादून, दिनांकः 31 मार्च, 2014

विषयः– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, कमोडिटी बोर्ड आदि के साथ Direct Contracting **के माध्यम से अनुबन्ध किए जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 793/01(11)/3/2013–14 दिनांकः 24.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ILSP के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड (ULDB), गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (VPKAS), बांस एवं रेशा उत्पाद (Bamboo Board), उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद (UOCB), भेड़ एवं ऊन विकास परिषद (Sheep Board) आदि एजेन्सियां, जो उत्तराखण्ड राज्य अथवा केन्द्र सरकार की अधिशासी एजेन्सियां हैं, के साथ समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत Direct Contracting के माध्यम से अनुबन्ध किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा यू0एल0डी0बी0 द्वारा 33 आईएलडीसी के उन्नयन एवं 15 नए आईएलडीसी केन्द्रों की स्थापना किए जाने पर उनके नियमित अनुसरण, मानिटरिंग के द्वारा उनके सफल संचालन हेतु पशुचिकित्साधिविद को आउटसोर्स के आधार पर परियोजना अवधि हेतु रखे जाने के प्रस्ताव को contract मे ही रखे जाने के प्रतिबन्ध के साथ सहमति प्रदान की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, कमोडिटी बोर्ड आदि के साथ Direct Contracting के माध्यम से अनुबन्ध किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया तत्सम्बन्ध में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना
(UGVS)
पंजीकरण संख्या 1199
दिनांक 31.03.2014
पत्रावली संख्या 02(16)
शाखा CPM / M-HR